भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1568
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: गन्ने का उत्पादन और खेती

1568. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गन्ना उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार गन्ना उत्पादक किसानों को कोई राजसहायता दे रही है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को चीनी उद्योग को आपूर्ति करने हेतु खड़ी फसल की कटाई के लिए श्रम शक्ति की कमी की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार गन्ना काटने वाली मशीनों की खरीद के लिए राजसहायता दे रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): वर्ष 2024-25 के दौरान देश में गन्ने का राज्य-वार उत्पादन (तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार) निम्नानुसार है:

राज्य	उत्पादन लाख टन में
उत्तर प्रदेश	2129.20
महाराष्ट्र	1099.90
कर्नाटक	498.60
गुजरात	143.08
तमिलनाडु	132.08
बिहार	118.12
उत्तराखंड	80.24
मध्य प्रदेश	74.10
पंजाब	70.33
हरियाणा	58.43
तेलंगाना	19.53
आंध्र प्रदेश	18.60
छत्तीसगढ़	18.58
असम	12.63
अन्य	27.73
अखिल भारत	**4501.16**

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

(ख): किसानों को गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के आधार पर, विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेकहोल्डर्स के परामर्श से, प्रत्येक चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) निर्धारित किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एफ.आर.पी. वह मानक लाभकारी मूल्य है जिससे कम पर कोई भी चीनी मिल गन्ना उत्पादकों से गन्ना नहीं खरीद सकती।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग गन्ने का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2014-15 से 13 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.) (पूर्ववर्ती एन.एफ.एस.एम.) के अंतर्गत गन्ना विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए प्रदर्शनों और प्रशिक्षण के माध्यम से टेक्नॉलजी ट्रांसफर पर बल दिया गया है। एन.एफ.एस.एन.एम.-गन्ना के अंतर्गत सहायता के घटक और पैटर्न **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ग) और (घ): मशीनीकरण में उन कार्यों को करने के लिए मशीनरी और तकनीक का उपयोग शामिल है जो पारंपरिक रूप से हाथ से किए जाते थे। फसल उत्पादन हेतु किए जाने वाले प्रमुख कार्य–जैसे भूमि की तैयारी, बुवाई, सिंचाई, कटाई और कटाई के बाद के कार्य–अब उपयुक्त मशीनों का उपयोग करके किए जाते हैं। इससे न केवल परिचालन दक्षता बढ़ती है, बल्कि हाथ से किया जाने वाला श्रम भी काफी कम हो जाता है।

इस दिशा में, कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.) वर्ष 2014-15 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। एस.एम.ए.एम. अब केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य 'कस्टम हायरिंग सेंटरों' को बढ़ावा देकर, उच्च तकनीक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए केंद्र बनाकर, विभिन्न कृषि उपकरणों का वितरण करके, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से स्टेकहोल्डर्स के बीच जागरूकता पैदा करके, महिला किसानों सहित छोटे और सीमांत किसानों को कृषि मशीनीकरण का लाभ प्रदान करके 'जरूरतमंदों तक पहुँचना' है।

एस.एम.ए.एम. योजना के अंतर्गत महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे एवं सीमांत किसानों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थियों को गन्ना कटर/स्ट्रिपर/प्लांटर सहित फसलों की खेती के लिए विभिन्न श्रेणी की कृषि मशीनरी और उपकरणों की लागत के 50% के बराबर लागत सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जो सामान्य श्रेणी के किसानों की तुलना में 10% अधिक है।

गन्ना कटर/स्ट्रिपर/प्लांटर के लिए सहायता का पैटर्न और अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी निम्नानुसार है:

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे एवं सीमांत किसानों, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थी के लिए	
प्रति लाभार्थी प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी (रुपये लाख में)	सहायता का पैटर्न	प्रति लाभार्थी प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी (रुपये लाख में)	सहायता का पैटर्न
0.75	50%	0.60	40%

अनुबंध

दिनांक 29.07.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1568 के भाग (ख) के संबंध में अनुबंध

एन.एफ.एस.एन.एम.-गन्ना के अंतर्गत सहायता के घटक और पैटर्न			
क्र. सं.	**घटक**	**यूनिट मूल्य (रुपये में)**	**कार्यान्वयन एजेंसी**
1	गन्ने के साथ अंतरफसलन और सिंगल बड चिप टेक्नॉलजी का प्रदर्शन	9000 रुपये/हेक्टेयर (इनपुट के लिए 8000 रुपये और आकस्मिक व्यय के लिए 1000 रुपये)	एसडीए/गन्ना आयुक्त/आईसीएआर/एसएयू/केवीके
2	ब्रीडर सीड उत्पादन के लिए सहायता	40000 रुपये/हेक्टेयर (34000 रुपये इनपुट के लिए और 6000 रुपये आकस्मिक व्यय के लिए)	एसडीए/गन्ना आयुक्त/आईसीएआर/केंद्र या राज्य सरकार का गन्ना अनुसंधान संस्थान
3	टिश्यू कल्चर प्लांटलेट्स/पौधों का उत्पादन/आपूर्ति	3.5 रुपये /पौधा	एसडीए/गन्ना आयुक्त/आईसीएआर/केंद्र या राज्य सरकार का गन्ना अनुसंधान संस्थान
4	राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण (25 प्रतिभागी x 2 दिन)	50000 रुपये /प्रशिक्षण	आईसीएआर/आईआईएसआर/ एसबीआई/यूपीसीएसआर/डीओएसडी
5	राज्य स्तरीय प्रशिक्षण (20 प्रतिभागी x 2 दिन)	40000 रुपये/प्रशिक्षण	एसडीए/गन्ना आयुक्त
6	पादप संरक्षण रसायनों और जैव-एजेंटों का वितरण	500 रुपये प्रति हेक्टेयर या लागत का 50% (जो भी कम हो)	एसडीए/गन्ना आयुक्त/आईसीएआर
7	स्थानीय पहल	राज्य विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार कुल आवंटन के 25% तक सीमित	
8	आकस्मिकताएँ और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया	आवश्यकता आधारित	डीओएसडी, लखनऊ

*****